रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 544] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2019/ भाद्र 27, 1940

No. 544] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2019/ BHADRA 27, 1940

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 667(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, निदेशक पुरालेख (संस्कृत तथा द्रविड़, और अरबी तथा फारसी अभिलेख), अधीक्षण पुरालेखविद तथा उप अधीक्षण पुरालेखविद (सस्कृत, द्रविड़, तथा अरबी और फारसी अभिलेख) (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2006, को जहां तक इसका संबंध निदेशक पुरालेख (संस्कृत तथा द्रविड़ अभिलेख), के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेशक पुरालेख (संस्कृत तथा द्रविड़ अभिलेख) के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, निदेशक पुरालेख (संस्कृत तथा द्रविड़ अभिलेख) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि : -** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :- वह व्यक्ति-,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतम मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) निदेशक (पुरालेख) (संस्कृत और द्रविड़ अभिलेख)	1* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, गैर-अनतुसचिवीय	स्तर – 12 (78800-209200 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्प कालिक संविदा सहित)	**प्रोन्नति:** ऐसे अधीक्षण पुरालेखविद (संस्कृत अभिलेख) तथा अधीक्षण पुरालेखविद (द्रविड़ अभिलेख) जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा की है और

	जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संस्कृत अथवा पाली अथवा तमिल या तेलुगु अथवा मलयालम अथवा कन्नड़ में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ स्नातक स्तर पर प्राचीन भारतीय इतिहास विषय के रूप में हो; अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास एक विषय हो तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रुप में संस्कृत अथवा पाली अथवा प्राकृत अथवा तमिल अथवा तेलुगु अथवा मलयालम अथवा कन्नड़ और पुरालेख में दो से चार सप्ताह का सेवागत प्रशिक्षण लिया हो। **टिप्पणी :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अपनी उन्नतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड/पद के लिए दर्शायी गई अर्हक योग्यताएं पूरी करने की तारीख के संदर्भ में प्रोन्नति के लिए अर्हक सूची बनाई जाएगी। II. केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/ अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जिन्होंने अपने मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है, अथवा (ii) जिन्होंने अपने मूल कॉडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 अथवा समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा पूरी की हो; तथा (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से संस्कृत अथवा पाली अथवा तमिल अथवा तेलुगु अथवा मलयालम अथवा कन्नड़ में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ स्नातक स्तर पर प्राचीन भारतीय इतिहास विषय के रूप में हो; अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास एक विषय के रुप में हो तथा स्नातक स्तर पर संस्कृत

	अथवा पाली अथवा प्राकृत अथवा तमिल अथवा तेलुगु अथवा मलयालम अथवा कन्नड़ एक विषय के रूप में हो। (ii) सरकारी संगठन या स्वायत्त संस्थाओं के तहत संबंधित विषय में प्राचीन या मध्ययुगीन अभिलेखों की नकल, व्याख्या और संपादन में दस साल का अनुभव। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिका संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिका संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी क्या संरचना है	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (1) अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष (2) सचिव / संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य (3) महानिदेशक /अपर महानिदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति** (1) सचिव, संस्कृति मंत्रालय - अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य (3) अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य	प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) द्वारा अधिकारी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 3-3/2018-योजना एवं एचआरडी/आरआर]

राकेश सिंह लाल, अपर महानिदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2019

G.S.R. 667(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Archaeological Survey of India, Directors Epigraphy (Sanskrit and Dravidian, and Arabic and Persian Inscriptions); Superintending Epigraphists and Deputy Superintending Epigraphists(Sanskrit, Dravidian, and Arabic and Persian Inscriptions) Group 'A' posts, Recruitment rules, 2006, in so far as it relates to the post of Director Epigraphy (Sanskrit and Dravidian Inscriptions), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director Epigraphy (Sanskrit and Dravidian Inscriptions) in the Archeological Survey of India, Ministry of Culture, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archeological Survey of India, Director Epigraphy (Sanskrit and Dravidian Inscriptions) (Group 'A' post), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix. — The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc. —The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director Epigraphy (Sanskrit and Dravidian Inscriptions).	1* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level 12 (Rs.78800 – 209200)	Selection post

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)
Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or Deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Superintending Epigraphist (Sanskrit inscriptions) and Superintending Epigraphist (Dravidian Inscriptions) with five years' service in the grade after appointment thereto on regular basis and possessing Masters degree in Sanskrit or Pali or Prakrit or Tamil or Telugu or Malayalam or Kannada with Ancient Indian History as a subject/paper at Bachelors degree level from a recognised University/Institute; or Masters degree in History with Ancient Indian History as a paper and Sanskrit or Pali or Prakrit or Tamil or Telugu or Malayalam or Kannada as one of the subjects at Bachelors degree level from a recognised University or Institute and have undergone two to four weeks in-service training in epigraphy. **Note.**-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligible service by more than half of such qualifying/service or two years, whichever is less and have successfully completed their	**Group 'A' Departmental Promotion Committee;** (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission - Chairman (2) Secretary/Joint Secretary, Ministry of Culture - Member (3) Director General/ Additional Director General, Archaeological Survey of India - Member **Group 'A' Departmental Confirmation Committee;** (1) Secretary, Ministry of Culture - Chairman (2) Joint Secretary, M/o Culture - Member (3) Additional Director General, Archaeological Survey of India -Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointing an officer on deputation (ISTC).

probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. **II. Deputation: Deputation (including short term contract)** Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administration or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertaking or recognised University or Institute or Research Institution; (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' regular service in post in level 11 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualification and experience: (i) Masters degree in Sanskrit or Pali or Prakrit or Tamil or Telugu or Malayalam or Kannada with Ancient Indian History as a subject/ paper at Bachelors degree level from a recognised University or Institute; or Masters degree in History with Ancient Indian History as a paper and Sanskrit or Pali or Prakrit or Tamil or Telugu or Malayalam or Kannada as one of the subjects at Bachelors degree level from a recognised University or Institute and (ii) Ten years experience in copying, deciphering and editing of ancient or medieval inscriptions in the concerned discipline under Government Organisation or Autonomous Institutions.		

Note 1.-The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty six years' as on the last date of receipt of applications. **Note 2.**-The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

[F. No.3-3/2018-Plg & HRD (RR)]

RAKESH SINGH LAL, Addl. Director General (Administration)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.03.19 16:39:01 +05'30'